न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. दलेरसिंह पुत्र सुरजन जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटोली तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. उम्मेद पुत्र झम्बू
2. छोटेलाल पुत्र झम्बू
3. कैलाश पुत्र झम्बू
4. सरोज पत्नि कैलाश
5. रत्तीराम पुत्र मांगीलाल
6. कल्लूराम पुत्र रत्तीराम
7. रामकरण पुत्र मांगीलाल
8. राजाराम पुत्र मांगीलाल
9. शिवराम पुत्र मंगड्या
10. शिवचरण पुत्र मंगड्या
11. साबो देवी पत्नि शिवराम

    समस्त जाति मीना निवासी ग्राम आंतरहेडा तहसील महवा जिला दौसा।

12. शाखा प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
13. तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा।
14. श्रीमति मनीषा मीना उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी महवा पीठासीन अधिकारी मनीषा मीना आर. ए. एस. प्रकरण उनवानी उम्मेद आदि बनाम ओमबाई आदि दावा मुकदमा नम्बर 177/2024

उपस्थिति : श्री मानसिंह पाटोली अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

: श्री निखिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– **28.04.2025**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि उनवानी वाद पत्र वादीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के समक्ष मिन प्रार्थी प्रतिवादी एवं अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अप्रार्थी के पीठ पीछे प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.11.2024 को कर दिया गया है तथा अब प्रकरण में फाइनल डिक्री पारित की जानी है। प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश कुमार एवं अधिवक्ता श्री निखिल शर्मा उपस्थित आये। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 177/2024 उम्मेद आदि बनाम ओमबाई आदि दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पीठ पीछे प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.11.2024 को कर दी गई एवं अब प्रकरण में फाइनल डिक्री पारित की जानी है। वादीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 जाति से मीना है तथा पीठासीन अधिकारी भी जाति से मीना है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 गांव में यह एलानिया कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी हमारी रिश्तेदार है। उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री तो दिनांक 27.11.2024 को हो रखी है, अब केवल फाइनल डिक्री होनी है जो भी हमारे पक्ष में होगी। इसके अलावा प्रार्थी ने वादी उम्मेद व छोटेलाल को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे देखा है। पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण में फाइनल डिक्री मिन अप्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध पारित करने पर आमादा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार कर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रकरण में 43 व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के निर्णय से सहमत है, किन्तु प्रार्थी द्वारा किसी अन्य के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर भी मनगढन्त एवं झूंठे आरोप लगाये गये है, जो कि निराधार है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 2 स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि किसी पक्षकार से मिलने वाली बात गलत है। प्रकरण के वादीगण से न्यायालय से कोई व्यक्तिशः सरोकार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। न्यायालय में पक्षकारों के हको के मध्यनजर नियमानुसार ही प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय दिया जाता है, यदि प्रार्थी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है। प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत् कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है। प्रकरण को लम्बित रखने की नीयत से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official